Government of India(भारत सरकार)

Ministry of Railways(रेल मंत्रालय)

(Railway Board)

S.No.PC-V/267
No.PC-V/97/I/11/3

RBE No. 79 /2000
New Delhi, dated 26 .4.2000

The GMs/OSDs/CAO(R),
All Indian Railways & PUs
(As per standard mailing list)

Sub : Pay scales of Drawing, Design and Estimating Staff in Production Units.

Pursuant to the V CPC recommendations orders regarding allotment of appropriate pay structure etc. relating to the staff working in Drawing, Design and Estimating cadre in the open line Establishment including workshops in the zonal Railways were issued vide Board's letter of even number dated 28.9.1998. The main features of the said orders are (i) introduction of apex Group 'C' scale of Rs.7450-11500 (RPS) in the cadre and (ii) abolition of the lowest grade of Rs.4000-6000 (RPS) i.e. the post of Assistant Draftsman in a phased manner.

2. Board's letter dated 28.9.98 envisages the following percentage structure for this category of staff in the zonal railways.

Pre-revised Scale (Rs.)	Revised Scale (Rs.)	Existing %age	Revised %age
1	2	3	4
1200-2040	4000-6000	20	10 (To be surrendered)
1400-2300	5000-8000	20	30
1600-2660	5500-9000	25	20
2000-3200	6500-10500	35	35.5
-	7450-11500	-	4.5

The question of bringing the recruitment pattern etc. for the category of Design/Drawing/Estimating staff of Production Units on the lines of orders issued vide Board's letter of even number dated 28.9.98 for analogous categories of staff working in Zonal Railways has been under consideration of Ministry of Railways for some time. The matter has been examined and it has been decided that the pay structure and recruitment/career advancement pattern of the Drawing/Design Cadre of the Production Units be brought at par with the pay structure and recruitment/career advancement pattern now available in the Zonal Railways as per the guidelines given below :-

a) The category of Assistant Draftsman in the grade of Rs.4000-6000 in the Production Units be abolished, with 50% of the posts being surrendered on

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क.सं. पी सी-5/267
सं. पी सी-5/97/आई/11/3

आर बी ई सं. 79/2000
नई दिल्ली, दि. 26.4.2000

महाप्रबंधक/वि.का.धि./मु.प्र.अ.(आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां इत्यादि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय :-उत्पादन इकाइयों में ड्राइंग, डिजाइन तथा आकलनकर्ता कर्मचारियों का वेतनमान।

पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, क्षेत्रीय रेलों में वर्कशापों रहित चालू लाइन स्थापना में ड्राइंग, डिजाइन तथा आकलनकर्ता संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन सरचना आबंटित करने से संबंधित आदेश बोर्ड के दिनांक 28.9.98 के समसंख्यक पत्र द्वारा जारी किए गऐ थे । उक्त आदेशों की मुख्य विशेषताएं हैं (i) संवर्ग में 7450-11500 रु (सं.वे.) का शीर्ष ग्रुप सी वेतनमान शुरू करना (ii) 4000-6000 रु (सं.वे.) का न्यूनतम ग्रेड अर्थात, सहायक ड्राफ्टमैन का पद चरणबद्ध आधार पर समाप्त करना ।

2. बोर्ड के दिनांक 28.9.98 के पत्र में क्षेत्रीय रेलों में इस कोटि के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत संरचना का उल्लेख किया गया है :

संशोधन पूर्व वेतनमान (रु)	संशोधित वेतनमान (रु)	मौजूदा प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत
1.	2.	3.	4.
1200-2040	4000-6000	20	10(सरेंडर किए जाने हैं)
1400-2300	5000-8000	20	30
1600-2660	5500-9000	25	20
2000-3200	6500-10500	35	35.5
-	7450-11500	-	4.5

उत्पादन इकाइयों के डिजाइन/ड्राइंग/आकलनकर्ता कर्मचारियों की कोटि के लिए भर्ती पैटर्न आदि क्षेत्रीय रेलों में कार्यरत समान कोटियों के कर्मचारियों के लिए बोर्ड के दिनांक 28.9.98 के समसंख्यक पत्र द्वारा जारी किए गये आदेशों के अनुसार करने का प्रश्न कुछ समय से रेल मंत्रालय के विचाराधीन है । मामले की जांच की गई है तथा यह विनिश्चय किया गया है कि उत्पादन इकाइयों के

PC-V/267
PC-V/97/I/11/3

RBE No. 79/2000
New Delhi/Dt. 26.4.200

डिजाइन/ड्राइंग संवर्ग की वेतन संरचना तथा भर्ती/कैरियर एडवांसमैंट पैटर्न नीचे दिए गये मार्गनिदेशों के अनुसार क्षेत्रीय रेलों में इस समय उपलब्ध वेतन संरचना तथा भर्ती/कैरियर एडवांसमैंट पैटर्न के समतुल्य लाया जाए :-

(क) उत्पादन इकाइयों में 4000-6000 रु के ग्रेड में सहायक ड्राफ्टमैन की कोटि समाप्त कर दी जाए तथा मौजूदा पदधारियों द्वारा खाली किए गये 50% पद सरेंडर कर दिए जाएं और मौजूदा पदधारियों द्वारा खाली किए गये शेष 50% पद भी 5000-8000 रु के ग्रेड में अपग्रेड कर दिए जाएं ।

(ख) भविष्य में 5000-8000 रु के ग्रेड में सीधी भर्ती इंजीनियरी डिप्लोमा धारियों में से और 6500-10500 रु के ग्रेड में इंजीनियरी डिग्री धारियों में से की जानी चाहिए। 4000 6000 रु के निम्नतम ग्रेड में सभी पदों को उपर्युक्त तरीके से निर्धारित करने के बाद 5000-8000 रु के ग्रेड में सीधी भर्ती 100% की सीमा तक की जाएगी । 6500-10500 रु के ग्रेड में सीधी भर्ती क्षेत्रीय रेलों के मामले में किए गए के अनुसार 20% की सीमा तक की जाएगी ,

(ग) 4000-6000 रु के ग्रेड (संवर्ग का 10%) में फिलहाल परिचालित किए जा रहे 50% पदों को सरेंडर करने के साथ, संवर्ग के शेष 90% पदों को 7450-11500 रु के ग्रेड में 4.5, 6500-10500 रु के ग्रेड में 35.5, 5500-9000 रु के ग्रेड में 20 और 5000-8000 रु के ग्रेड में 30 के अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए । इससे उत्पादन इकाइयों में ड्राइंग/डिजाइन संवर्ग की संवर्ग संरचना क्षेत्रीय रेलों के समतुल्य हो जाएगी ।

(घ) जैसा कि क्षेत्रीय रेलों में है, 6500-10500 रु के ग्रेड में पदों को इंजीनियरी की डिग्री रखने वाले उन विभागीय उम्मीदवारों में से सीधे भर्ती कोटा के अंतर्गत चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक ऐसा कोई भी कर्मचारी शेष न रहे जो भी पहले हो, चयन-प्रकिया द्वारा भरा जाएगा ।

3. इस संबध में, कृपया महाप्रबंधक/सवारी डिब्बा कारखाना एवं रेल कोच फैक्टरी बोर्ड के दिनांक 24.2.2000 के समसंख्यक पत्र का हवाला दें ।

नीरखूटिया

(नीरा खूटिया)
निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

सं. पी सी-5/97/आई/11/3 नई दिल्ली, दि. 26.4.2000

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ए.डी.ए.आई.(रेलें), नई दिल्ली को प्रेषित।

(आर कश्यप)
कृते वित्त आयुक्त(रेलें)

my documents\hindi.doc\vibha\2

S.NO-PC-V/267
NO. PC-V/97/I/11/3

RBE NO - 79/2000,
N.Delhi, dtd. 26.4.2000

vacation by present incumbents and the remaining 50%, also on vacation by present incumbents being upgraded to the grade Rs.5000-8000;

b) In future, direct recruitment should take place in the grade Rs.5000-8000 from amongst engineering diploma holders and in the grade Rs.6500-10500 from amongst engineering degree holders. The direct recruitment in Rs.5000-8000 will be to the extent of 100% after all posts in the lower grade of Rs.4000-6000 are phased out in the manner indicated above. Direct recruitment in the grade Rs.6500-10500 will be to the extent of 20% as in the case of Zonal Railways;

c) With surrender of 50% of posts presently being operated in the grade Rs.4000-6000 (10% of the cadre), the remaining 90% posts of the cadre should be distributed in the ratio of 4.5 in Rs.7450-11500, 35.5 in the grade of Rs.6500-10500, 20 in the grade Rs.5500-9000 and 30 in the grade Rs.5000-8000. This will bring the cadre structure of the drawing/design cadre in PUs at par with the Zonal Railways; and

d) As in the case of Zonal Railways the posts in the grade Rs.6500-10500 will be filled up following a process of selection from amongst Departmental candidates possessing degree in engineering by throwing open to them the direct recruitment quota for a period of four years, or till such time that no such staff remain, whichever is earlier.

3. In this connection, GMs/ICF & RCF may also please refer to Board's letter of even number dated 24.2.2000.

Hindi version is enclosed.

(Neera Khuntia)
Director Pay Commission
Railway Board

No.PC-V/97/I/11/3 New Delhi, dated 26.4.2000

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.

R. Kashyap
For Financial Commissioner, Railways

1) The GMs, N.F. Railway (Const.),CAO, Southern Railway (Const.) and Central Railway(Const.)
2) The FA & CAOs, All Indian Railways, Production Units, N.F. Railway (Const.) and Southern Railway (Const.) & Central Railway (Const.)
3) The Director General, RDSO/Lucknow
4) The General Manager and FA & CAO, Metro Railway/Calcutta
5) The CAO and FA & CAO, COFMOW/New Delhi
6) The General Manager and FA & CAO, CORE/Allahabad
7) The Principal, Railway Staff College/Vadodara
8) The CAO (Const.), MTP(R)/Mumbai
9) The CAO (Const.), MTP(R)/Chennai